भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2681

02 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए नियत

पेपर मिलों का पुनरुद्धार

2681. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम की दो महत्वपूर्ण पेपर मिलों (पंचग्राम और नगाँव पेपर मिलों) के पुनरुद्धार के लिए कोई कदम उठाए हैं जिनके बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पेपर मिलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या गरीब श्रमिकों के लिए इन मिलों के महत्व को देखते हुए इनके पुनरुद्धार के लिए कोई धनराशि आवंटित/प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ङ) : असम में हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की दो मिलें हैं-- कछार पेपर मिल, पंचग्राम और नगांव पेपर मिल, जागीरोड। वर्तमान में ये मिलें प्रचालनरुद्ध हैं। हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन के पुनरुद्धार का प्रस्ताव उस समय विचाराधीन था जब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली ने दिनांक 13.06.2018 को दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के तहत हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन के विरुद्ध कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। वर्तमान में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के निर्देशानुसार हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन परिसमापनाधीन है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली द्वारा हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन के लिए नियुक्त परिसमापक विधिक उपबंधों के अनुरूप परिसमापन की प्रक्रिया को कार्यरूप दे रहा है।

***